



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3881]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941

No. 3881]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/AGRAHAYANA 8, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4319(अ).—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, के साथ पठित सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा को तत्काल प्रभाव से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 9.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं. 115 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उच्च अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1. न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा — अध्यक्ष
न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय

[फा. सं. 6 (1)/95-नालसा]

आलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव

पाद टिप्पण : उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का. आर. 115 (अ), दिनांक 9.2.2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 25.2.2000, 20.8.2000, 22.11.2001, 29.5.2002, 1.1.2003, 10.4.2003, 25.9.2003, 8.3.2004, 8.6.2004, 18.07.2005, 11.11.2005, 11.07.2006, 15.02.2007, 21.10.2008, 13.5.2009, 11.8.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014, 09.10.2014, 17.12.2015, 28.11.2016 10.01.2017, 19.01.2017, 30.08.2017, 08.10.2018, 27.11.2018 एवम 07.03.2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई है

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Justice)****(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2019

S.O. 4319(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Authority hereby nominates Mr. Justice Arun Mishra, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with immediate effect and makes the following amendments in its Notification No. S.O.115(E) dated 09.02.2000, namely:-

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

1. “MR. JUSTICE ARUN MISHRA – CHAIRMAN”
Judge, Supreme Court of India.

[F. No. 6(1)/95-NALSA]

ALOK AGARWAL, Member Secy.

Foot Note : The principal notification constituting the Supreme Court Legal Services Committee was published vide S.O. 115(E) dated 09.02.2000 and was subsequently amended vide Notifications dated 25.02.2000, 20.08.2000, 22.11.2001, 29.05.2002, 01.01.2003, 10.04.2003, 25.09.2003, 08.03.2004, 08.06.2004, 18.07.2005, 11.11.2005, 11.07.2006, 15.02.2007, 21.10.2008, 13.05.2009, 11.08.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014, 09.10.2014, 17.12.2015, 28.11.2016, 10.01.2017, 19.01.2017, 30.08.2017, 08.10.2018, 27.11.2018 and 07.03.2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4320(अ).—केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 के नियम 3 व उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम, 1996 के विनियम 4 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 अ, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या 411 दिनांकित 13.10.2017 की क्रम संख्या 6 से 10 तक उल्लेखित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों को नामित करता है:-

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 6. | श्री राकेश खन्ना
वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च न्यायालय | - | सदस्य |
| 7. | श्री मोहन परासरन
वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च न्यायालय | - | सदस्य |
| 8. | श्री गोपाल शंकरनारायणन
वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च न्यायालय | - | सदस्य |
| 9. | श्री नीरज किशन कॉल
वरिष्ठ अधिवक्ता,
सर्वोच्च न्यायालय | - | सदस्य |

10. श्री राकेश द्विवेदी - सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता,
सर्वोच्च न्यायालय

[फा. सं. 6(1)/95-नालसा]

आलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2019

S.O. 4320(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995 and Rule 3 of the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, and Regulation 4 of the Supreme Court Legal Services Committee Regulations, 1996, the Central Authority hereby nominates the members of Supreme Court Legal Services Committee mentioned at Serial Numbers 6 to 10 of the Notification published in the Gazette of India vide No. 411 dated 13.10.2017:-

- | | | |
|-----|--|---------|
| 6. | Shri Rakesh Khanna
Senior Advocate
Supreme Court of India | —Member |
| 7. | Shri Mohan Parasaran
Senior Advocate
Supreme Court of India | —Member |
| 8. | Shri Gopal Sankaranarayanan
Senior Advocate
Supreme Court of India | —Member |
| 9. | Shri Neeraj Kishan Kaul
Senior Advocate
Supreme Court of India | —Member |
| 10. | Shri Rakesh Dwivedi
Senior Advocate
Supreme Court of India | —Member |

[F. No. 6(1)/95-NALSA]

ALOK AGARWAL, Member Secy.